18

बिहार सरकार

<u>लघु जल संसाधन विभाग</u>

सं0सं0- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/भागलपुर/873/2024 18 पटना, दिनांक- 01.01.25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वाराः- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में **"हर खेत तक सिंचाई का पानी"** कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, **भागलपुर** अन्तर्गत **श्रीरामपुर दरियाचक चेक डैम का निर्माण कार्य, सोनिया नदी पर मोहनपुर चेक डैम का पुनर्स्थापन कार्य, पैजमारा वीयर का निर्माण कार्य एवं कर्रा नदी पर भरोखर वीयर का निर्माण कार्य** हेतु कुल **रूपये 1088.612 लाख (दस करोड़ अट्ठासी लाख इकसठ हजार दो सौ रुपये) मात्र** की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेशः- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है वित्तीय वर्ष 2024-25 में **"हर खेत तक सिंचाई का पानी"** कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, **भागलपुर** अन्तर्गत **श्रीरामपुर दरियाचक चेक डैम का निर्माण कार्य, सोनिया नदी पर मोहनपुर चेक डैम का पुनर्स्थापन कार्य, पैजमारा वीयर का निर्माण कार्य एवं कर्रा नदी पर भरोखर वीयर का निर्माण कार्य** हेतु कुल **रूपये 1088.612 लाख (दस करोड़ अट्ठासी लाख इकसठ हजार दो सौ रुपये) मात्र** की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	**श्रीरामपुर दरियाचक चेक डैम का निर्माण कार्य, सोनिया नदी पर मोहनपुर चेक डैम का पुनर्स्थापन कार्य, पैजमारा वीयर का निर्माण कार्य एवं कर्रा नदी पर भरोखर वीयर का निर्माण कार्य**	भागलपुर	गोराडीह एवं जगदीशपुर	**1088.612**	510

2. विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन **सक्षम प्राधिकार** द्वारा प्रदत्त है ।
3. इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
4. इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
5. राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98

Nidhi

एवं 800 वि0(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. **दिनांक-17.12.2024** को संचिका संख्या- **सं0सं0-ल0सिं0मो0-AA/HKKP/भागलपुर/873/2024** के **पृ0-06/टि0** पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या- **सं0सं0-ल0सिं0मो0-AA/HKKP/भागलपुर/873/2024** के **पृ0-...10.../टि0** पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, **भागलपुर** होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, **भागलपुर** होगें ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, **भागलपुर** से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(signature) 31/12/24

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 18 पटना, दिनांक- 01.01.25

प्रतिलिपिः- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, **भागलपुर**/कोषागार पदाधिकारी, **भागलपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(signature) 31/12/24

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 18 पटना, दिनांक- 01.01.25

प्रतिलिपिः- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, **भागलपुर**/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, **भागलपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(signature) 31/12/24

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 18 पटना, दिनांक- 01.01.25

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(signature) 31/12/24

सरकार के अपर सचिव

D:\1\YOJANA 2024-25\SWIKRITY AADESH NEW 2024-25\HKKP 873-2024 BHAGALPUR (2).DOCX

Nidhi